संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/एमआईएससी/112/8/2024
Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/112/8/2024 दिनांक / Date:12.08.2024

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2024
Re: Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2024

राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 419 (ई) दिनांक 19 जुलाई 2024 द्वारा जारी धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) में लागू किये गये संशोधनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
Attention is drawn to amendments effected to Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (PML Rules) vide gazette notification no. GSR 419 (E) dated 19th July 2024.

2. संदर्भः आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022 दिनांक 1 अगस्त 2022 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये एएमएल/सीएफटी संबंधी मास्टर दिशानिर्देशों के खंड 12 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ बीमाकर्ताओं हेतु केवाईसी अभिलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए ग्राहक से कहे बिना केवाईसी अभिलेख पुनः प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) का संदर्भ लेना पहले से ही अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया गया था।
Attention is also drawn to Clause No. 12 of Master Guidelines on AML/CFT issued by the Authority vide ref: IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1st August 2022 where, *inter alia* insurers were already mandated to refer Central KYC Registry (the CKYCR) for retrieving the KYC records without asking the customer to submit KYC records again.

3. पीएमएल नियमों में किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप, उक्त मास्टर दिशानिर्देश, दिनांक 1 अगस्त 2022 में निम्नलिखित आशोधन लागू किये गये हैं:
Consequent to the amendments made to the PML rules, the following modifications are effected to the Master Guidelines dated 1st August, 2022:

3.1. पैरा 12.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।
The para 12.2 shall be substituted as under.

"12.2 केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करने के भाग के रूप में, बीमाकर्ता पीएमएल नियमों के नियम 9(1ग) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को आपनाएँगे।
12.2 As part of complying with KYC norms, the Insurers shall adopt the procedure specified in Rule 9 (1C) of PML Rules."

3.2. पैरा 12.3 छोड़ दिया जाएगा।
The para 12.3 shall be omitted.

3.3 पैरा 12.9 के बाद निम्नलिखित पैरा निविष्ट किये जाएँगे।
After para 12.9, the following paras shall be inserted.

"12.10 जहाँ नियम 9(1ग) के अधीन ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन की गई केवाईसी सूचना प्राप्त की जाती है, वहाँ बीमाकर्ता नियम 9(1घ) के अनुसार सीकेवाईसीआर को अद्यतन की गई सूचना प्रस्तुत करेंगे।

12.11 यदि सीकेवाईसीआर के द्वारा किसी वर्तमान ग्राहक के केवाईसी अभिलेख में अद्यतन सूचना दी जाती है, तो बीमाकर्ता सीकेवाईसीआर से अद्यतन किये गये अभिलेख पुनः प्राप्त करेंगे तथा अपने द्वारा अनुरक्षित किये जानेवाले केवाईसी अभिलेख को अद्यतन करेंगे।"

"12.10 Where additional or updated KYC information is obtained from a client under Rule 9(1C) of PML Rules, Insurers shall furnish the updated information to the CKYCR as per Rule 9(1D).

12.11 If an update in the KYC record of an existing client is informed by the CKYCR, the Insurers shall retrieve the updated KYC records from the CKYCR and update the KYC record maintained by it."

4. इसके अलावा, बीमाकर्ता उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2024 के द्वारा पीएमएल नियमों में अधिसूचित संशोधन ध्यान में रखेंगे तथा उक्त मास्टर दिशानिर्देशों के पैरा 1.2 के अनुसार इनका कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगे।
Further, insurers shall take note of the amendments notified to PML Rules vide above mentioned gazette notification dated 19th July, 2024 and take necessary steps to implement the same in terms of para 1.2 of the Master Guidelines.

5. तत्काल संदर्भ के लिए उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
The copy of the gazette notification is attached for ready reference.

हस्ताक्षरित / Sd/-
डीवीएस रमेश / DVS Ramesh
मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager
बीमा समावेशन एवं विकास विभाग / Insurance Inclusion and Development Dept.